न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 293/2020

प्रार्थी

श्रीमती छगनीदेवी पत्नी श्री ईश्वरलाल, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी, तहसील– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, फुंगणी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, फुंगणी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
3. प्रकाशराज पुत्र मंछाराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी–फुंगणी, तह. व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 293/2020

"निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र नामा, अप्रार्थी संख्या– 3 (प्रकाशराज) की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 12 सितम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी प्रकाशराज पुत्र मंछाराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ रियायती दर पर आवंटन का जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–3 (प्रकाशराज) की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र नामा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 15.12.2020 को अप्रार्थी संख्या–2 (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, फुंगणी) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन उसके बाद न तो उपस्थित हुये व न ही जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, फुंगणी) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल पुरोहित का करीब 25–30 साल पुराना एक कब्जे शुदा भूखण्ड़ ग्राम फुंगणी में माताजी मंदिर के पास आया हुआ है, जिसके उत्तर में छगन पुत्र भूराजी पुरोहित का भूखण्ड़, दक्षिण में पडत आबादी भूमि, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में रेखा पत्नी नारायण जी पुरोहित का भूखण्ड़ स्थित है, इस भूखण्ड का नाप उंत्तर–दक्षिण 45 फीट व पूर्व–पश्चिम 30 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड़ पर प्रार्थीया अपने पति के जरिये पिछले 25–30 वर्षो से काबिज है एवं एक वर्ष पूर्व निर्माण हेतु मौके पर पत्थर डलवाये व नीवं खुदाई का कार्य शुरु करवाया था, लेकिन नीवं खुदाई के समय जलदाय ... से जलदाय विभाग ने कार्य रुकवाया था, उसके बाद प्रार्थीया के प... रलाल की दिनांक ... मार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:10 IST
Reason: SelfAttested

29.3.2020 को हत्या हो गई थी। प्रश्नगत भूखण्ड़ पर प्रार्थीया के पति के पुराने कब्जे की पुष्टि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थी के पति श्री ईश्वरलाल को जारी नोटिस दिनांक 16.4.2010 से होती है। यह कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल को उक्त भूखण्ड़ से कभी भी बेदखल नही किया गया है तथा मौके पर प्रार्थीया अपने पति के जरिये काबिज चली आ रही है। प्रार्थी के पति की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या–3 ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मेल मिलाप कर विवादित भूखण्ड़ पर प्रार्थीया का पुराना कब्जा होने व मौके पर प्रार्थीया की निर्माण सामग्री पडी होने के बावजूद भी प्रार्थीया को नुकसान पॅहुचाने की नियत से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन का पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को ग्राम पंचायत, फुंगणी से प्राप्त कर लिया, जबकि आवंटन के समय प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड़ मौके पर खाली नही होकर प्रार्थीया के पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड़ था। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत इस नियम में वर्णित श्रेणी के कमजोर वर्गो के ऐसे व्यक्तियों जो भूमिहीन है व जिनके पास आवासीय गृह या आवासीय भूखण्ड़ नही है, उनको ही रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन किया जा सकता है, जबकि अप्रार्थी प्रकाशराज उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का व्यक्ति नही होकर सामान्य/स्वर्ण वर्ग का साधन सम्पन्न व्यक्ति है जो रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन की पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी प्रकाशराज के स्वयं का आलीशासन आवासीय मकान ग्राम फुंगणी में श्री हिंगलाज माताजी मंदिर के पास स्थित है जिसमें अप्रार्थी प्रकाशराज अपने परिवार सहित निवास कर रहा है जिसके मौके का फोटो प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत किये है। अप्रार्थी संख्या– 3 का मद्रास में व्यापार है और वहां भी फलेट/मकान लिया हुआ है। अप्रार्थी प्रकाशराज के पास ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के खाता संख्या (नया) 157, 186, 237, 73, 154, 153, 155 में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है जिसकी प्रार्थीया द्वारा जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी प्रकाशराज भूमिहीन व्यक्ति नही होने के बावजूद भी तत्कालीन हल्का पटवारी, फुंगणी ने अप्रार्थी प्रकाशराज को अनुचित लाभ पॅहुचाने की नियत से भूमिहीन व्यक्ति होने के संबंध में दिनांक 20.2.2.2018 को गलत प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यह कि ग्राम पंचायत, फुंगणी ने अप्रार्थी प्रकाशराज के पक्ष में पट्टा जारी करने की सारी कार्यवाही एक ही दिन में बिना जांच किये ही की है। ग्राम पंचायत, फुंगणी ने अप्रार्थी प्रकाशराज के रियायती दर घर भूखण्ड़ आवंटन की जांच नही की है तथा आपत्ति नोटिस भी विधि अनुसार जारी नही कर केवल कागजों में ही नोटिस जारी करना बताया है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन की कोई योजना प्रस्तावित/अनुमोदित नही की है एवं न ही पात्र लोगों की सूची का प्रकाशन करवाया है। अप्रार्थी संख्या– 3 के पक्ष में रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है, लेकिन पट्टे की शुल्क राशि का अंकन पट्टे पर नही किया गया है। यह कि प्रश्नगत भूखण्ड़ पर अप्रार्थी संख्या– 3 द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने व मौके पर विवाद करने के कारण प्रार्थीया के देवर श्री फूलाराम ने पुलिस थाना, कालन्द्री में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर पुलिस थाना, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या– 3 के विरुद्ध धारा 107, 116(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही को इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है, इससे भी यह साबित है कि उक्त भूखण्ड़ प्रार्थीया के पुराने कब्जे का है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी प्रकाशराज के पक्ष में रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या– 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया या प्रार्थीया के पति का प्रश्नगत [illegible] से संबंधित भूखण्ड़ पर कभी भी कब्जा नही रहा है, बल्कि प्रश्नगत भूखण्ड़ के प[illegible]ली होने के कारण

...पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही* सत्यमेव जयते

ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 को नियमानुसार रियायती दर पर आवंटन किया गया है, जिसकी शुल्क राशि रुपये 750/– (अक्षरे रुपये सात सौ पचास) अप्रार्थी संख्या–3 ने ग्राम पंचायत, फुंगणी में जमा करवाई है। अप्रार्थी प्रकाशराज भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास स्वयं का कोई आवासीय मकान या भूखण्ड नही है। अप्रार्थी प्रकाशराज के पिता का मकान था जो उसके दूसरे भाईयों के पास है। अप्रार्थी प्रकाशराज चेन्नई में प्राईवेट नौकरी करता है, अप्रार्थी साधन सम्पन्न व्यक्ति नही है। अप्रार्थी प्रकाशराज रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन कराने की पात्रता रखता है, जिसके संबंध में पंचायत द्वारा जांच कर विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या– 3 ने ग्राम पंचायत, फुंगणी से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर व बैंक से ऋण प्राप्त कर मौके पर नीवं खुदाई करवाई तथा निर्माण कार्य चालू करवाया, तब प्रार्थीया के देवर फुलाराम ने निर्माण में अवरोध पैदा करने की नियत से पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर पुलिस ने प्रार्थीया के देवर व अप्रार्थी संख्या– 3 के विरुद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही को सी.आर.पी.सी. की धारा 107, 116(3) के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया है, ताकि मौके पर शांति भंग न हो। अप्रार्थी प्रकाशराज ने प्रार्थी छगनीदेवी व अन्य के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सिरोही को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिस पर प्रार्थीया छगनीदेवी व अन्य के विरुद्ध भी पुलिस थाना, कालन्द्री में अपराध संख्या 01/2021 अर्न्तगत धारा 447, 427 व 34 के तहत दर्ज हुआ है। यह कि अप्रार्थी प्रकाशराज द्वारा पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य शुरु करने पर निर्माण में व्यवधान करने व भूखण्ड पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया ने मनगंढत तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 81/2020 अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अनवान छगनीदेवी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत, फुंगणी व अन्य में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी प्रकाशराज के पक्ष में होने व अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी प्रकाशराज को होने की संभावना को देखते हुए प्रार्थीया छगनीदेवी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। उसके बाद अप्रार्थी प्रकाशराज ने प्रश्नगत पट्टे के मौके पर आवासीय मकान का निर्माण कराया है तथा मौके पर काबिज है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या– 3 के कथनों के जवाब में प्रार्थीया के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी प्रकाशराज के वकील ने स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान अप्रार्थी प्रकाशराज द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर मकान निर्माण कार्य हेतु 24 लाख में ठेका देने का कथन किया था, तो 24 लाख रुपये में मकान निर्माण का ठेका वाला व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रकाशराज साधन सम्पन्न व्यक्ति है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्धं दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी प्रकाशराज पुत्र मंशाराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित [illegible]तियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव को कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, [illegible] गाडियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:10 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय *सिरोही*

लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह पाया गया कि अप्रार्थी प्रकाशराज पुत्र मंशाराम जी के नाम से ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के नये खाता संख्या 157, 186, 237, 73, 154, 153, 155 में संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है, इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रकाशराज भूमिहीन व्यक्ति नही है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, फुंगणी की मिसल संख्या 71 दायर दिनांक 20.2.2018 की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी प्रकाशराज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन करने से पूर्व अप्रार्थी प्रकाशराज की पात्रता की पूर्णरुप से जांच नही की गई है। ग्राम पंचायत, फुंगणी की उक्त मिसल में उपलब्ध वार्ड पंचों की जांच रिपोर्ट व मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अप्रार्थी प्रकाशराज रियायती दर पर भूखण्ड़ पाने का पात्र व्यक्ति कैसे है? एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत वर्णित उक्त श्रेणियों में से अप्रार्थी प्रकाशराज किस श्रेणी में आता है, उसका उल्लेख वार्ड पंचों की जांच रिपोर्ट व मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नही किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में वर्णित उक्त श्रेणियों में से अप्रार्थी प्रकाशराज किसी भी श्रेणी का व्यक्ति प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी पक्ष ने भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह भलीभांति साबित हो सके कि अप्रार्थी प्रकाशराज पुत्र मंशाराम जी, जाति— पुरोहित, निवासी— फुंगणी रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति हो और उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी में आता हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में वर्णित श्रेणी के व्यक्ति को रियायती दर पर पट्टा जारी नही करके अपात्र व्यक्ति को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी कर नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीया का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी प्रकाशराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को निरस्त करके प्रकरण ग्राम पंचायत, फुंगणी को प्रश्नगत भूखण्ड़ ग्राम पंचायत के कब्जे में लेकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि अनुरुप कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीया अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी प्रकाशराज पुत्र मंशाराम जी, जाति— पुरोहित, निवासी— फुंगणी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का रियायती दर पर आवंटन का जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, फुंगणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रशगनत भूखण्ड़ को यदि उस पर कोई सन्निर्माण हो तो ऐसी संरचनाओं सहित ग्राम पंचायत के कब्जे में लेकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:10 IST
Reason: SelfAttested

(भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते